300

25/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र (टीआई) का जवाब नहीं किया जाकर अपनी सहमति जाहिर की गई कि विवादग्रस्त भूमि पर मूल वाद के फैसले तक दोनो पक्ष यथास्थिति बनाये रखे। इस पर वकील प्रार्थी द्वारा भी बताया गया कि मूल वाद ताफैसला दोनो पक्षकारगण विवादित भूमि पर राजस्व रेकर्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखने की शर्त पर टीआई निस्तारित करने की सहमति दी गई।

Akhan

Mukesh

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पक्षकार वकील द्वारा दी गई सहमति के अनुसार विवादग्रस्त भूमि मौजा चुंगीया

की जमाबंदी सं. 2069-2072 ख.सं. 1969 रकबा 8 विस्वा
भूमि पर यथास्थिति के आदेश (दोनो पक्षकारगण) राजस्व
जमा व दखल
रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति किये जाते हैं। दोनो पक्ष
एक दूसरे को दखल नहीं करने पाबन्द किये जाते
है। यथास्थिति के आदेश मूल वाद के फैसले तक
प्रभावी होंगे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

SDO

Scanned by CamScanner